

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 383] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 1981/अग्रहायण 6, 1903
No 383] NEW DELHI, FRIDAY, NOV. 27, 1981/AGRAHAYANA 6, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

बिज्ज मंत्रालय

(राज्य विभाग)

अभिमुक्ता

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1981

सं० 251 सीमापुष्क

सां०कां०सि० 618 (अ) —केंद्रीय सरकार, सीमापुष्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने यह समाधान
हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के बिज्ज मंत्रालय

(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 64 सीमाशुल्क, तारीख 6 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ (1) में क्रम सं० 5, 6, 14 और 16 तथा स्तम्भ (2) में उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ का लोप किया जायगा।

[फा०सं० 346/24/81-टी०आर०यू०]

जे० श्रीधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1981

NO. 254-CUSTOMS

G.S.R. 618(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 64-Customs dated the 6th March, 1979, namely :—

In the Table annexed to the said notification, Sl. Nos. 5, 6, 14 and 16 in column (1) and the entries relating thereto in column (2) shall be omitted.

[F. No. 346/24/81-TRU]

J. SRIDHARAN, Under Secy.